

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 234 / 2014
संस्थित दिनांक 17.04.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
अंजड़, जिला बड़वानी

—अभियोगी

वि रु द्ध

शिवनारायण पिता ओमप्रकाश विश्वकर्मा,
आयु 23 वर्ष, पेशा—ड्राईवरी,
निवासी—मोहीपुरा, तह.अंजड़, जिला बड़वानी

—अभियुक्त

अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी
--

अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता — श्री एल. के. जैन

—: नि र्ण य :—

(आज दिनांक 20-08-2016 को घोषित)

01— आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 75/2014 के आधार पर दिनांक 25.03.2014 को शाम लगभग 5 बजे बंधानपुरा ग्राम सुराणा में ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-04-ए-1302 को लोक मार्ग पर उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर उसकी टक्कर सरदार को मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित करने, जो कि आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है, के कारण भादवि की धारा 304-ए का अपराध विचारणीय है।

02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि आरोपी शिवनारायण अभियोजन साक्षी ओमप्रकाश (अ.सा.-8) का पुत्र है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष ने मृतक सरदार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रपी-10 भी स्वीकार की है, इस प्रकार मृत सरदार की मृत्यु होना भी स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.03.2014 को सुरेश ने थाना अंजड़ पर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसे शाम को 6 बजे पता चला कि सुराणा में एक्सीडेंट हो गया है तो वह सुराणा गया, उसे बंधानपुरा सुराणा में सड़क पर एक लाल रंग का महिन्द्रा कम्पनी का ट्रैक्टर जिस पर गांधी ऑटो डिल बड़वानी लिखा देखा और वहां पर गांव के कोटवार भारत और पप्पू ने उसे बताया कि ट्रैक्टर चालक ने तेज रफ्तार एवं लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर सायकिल चालक को टक्कर मार दी, जिसे 108 गाड़ी अंजड़ ले गई। घायल के हुलिये से ऐसा लगा कि यह सरदार हो

सकता है, उसने अस्पताल अंजड़ के पोस्टमार्टम रूम में पहुंचकर देखा तो मृतक उसके काका का लड़का सरदार था, तब सुरेश घटना की रिपोर्ट करने थाना अंजड़ आया, जिस पर से थाने पर अपराध क्रमांक 75/2014 दर्ज कर विवेचना में लिया गया, फरियादी व साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए, घटनास्थल से उक्त ट्रैक्टर जप्त किया, मृतक के शव का परीक्षण कराया, आरोपी को गिरफ्तार कर उससे वाहन के दस्तावेज जप्त कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 304-ए के अंतर्गत अपराध विवरण की विशिष्टियां तैयार कर, उसे पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया।

05— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या आरोपी ने घटना दिनांक 25.03.2014 को शाम लगभग 5 बजे बंधानपुरा सुराणा में ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-46-ए-1302 को लोक मार्ग पर उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर उसकी टक्कर मृतक सरदार को मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?

- विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष -

06— उपरोक्त विचारणीयह प्रश्न के संबंध में साक्षी सुरेश (अ.सा.-1) का कथन है कि लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व की घटना है, सुराणा-मण्डवाड़ा के बीच दुर्घटना हुई थी, जिसमें सरदार की मृत्यु ट्रैक्टर से हुई थी। दुर्घटना के समय वह घर पर था, उसे दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, तब वह घटनास्थल पर गया था। दुर्घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ पर प्रपी-1 की की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी-2 का बनाया था तथा लाश का सफीना फॉर्म प्रपी-3 का जारी किया था और लाश का नक्शा पंचायतनामा प्रपी-4 बनाया था तथा नुकसानी पंचनामा प्रपी-5 बनाया था। साक्षी ने प्रपी-2 से प्रपी-5 पर ए से ए भागों पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किए हैं। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर मृतक सरदार की सायकिल पड़ी हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे भारत और पप्पू ने बताया था कि सुराणा की ओर से आ रहे ट्रैक्टर ने तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर चलाकर मृतक सरदार की सायकिल को टक्कर मार दी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रपी-6 के कथन में उक्त घटना बताई थी, किन्तु बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी और ट्रैक्टर कौन चला रहा था उसने नहीं देखा।

07— अभियोजन साक्षी रोहित (अ.सा.-2) व पप्पू (अ.सा.-3) ने भी दुर्घटना में सरदार की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के संबंध में कथन किए हैं। उक्त साक्षीगण ने प्रपी-3 व 4 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। रोहित (अ.सा.-2) को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि दुर्घटना की सूचना उसने सुरेश को दी थी, लेकिन पुलिस को प्रपी-7 का कथन देने से स्पष्ट इन्कार किया है। पप्पू (अ.सा.-3) ने अभियोजन के इस सुझाव से इन्कार किया है कि ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर ला रहा था, जिस कारण दुर्घटना घटित हुई। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में उक्त दोनों ही साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी।

08— अभियोजन साक्षी अब्दुल गफ्फार (अ.सा.-4) ने दिनांक 25.03.2014 को थाना अंजड़ में फरियादी सुरेश की रिपोर्ट के आधार पर लाल रंग के ट्रैक्टर महिन्द्रा कम्पनी का जिस पर गांधी ऑटो डिल बड़वानी लिखा था, के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर सरदार की मृत्यु कारित करने के संबंध में प्रपी-1 की रिपोर्ट दर्ज करने और उसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किए हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने मार्ग क्रमांक, प्रपी-9 का दर्ज किया था। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादी सुरेश ने ट्रैक्टर का नंबर नहीं बताया था तथा यह भी स्वीकार किया है कि फरियादी ने उसे उसके सामने दुर्घटना होने की बात नहीं बताई थी, लेकिन इस साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने मर्जी से प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया।

09— अभियोजन साक्षी पण्डु (अ.सा.-6) का कथन है कि दिनांक 16.04.2014 को उसने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 75/2014 में जप्त महिन्द्रा कम्पनी के ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-46-ए-1302 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर उसे चालू हालत में होना पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दिए गए यांत्रिकीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी-10 को भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने वाहन की जांच थाने पर की थी।

10— अभियोजन साक्षी भारत (अ.सा.-7) का कथन है कि 3 साल पहले वह ग्राम पंचायत सुराणा में चौकीदार था, मण्डवाड़ा-सुराणा रोड़ पर दुर्घटना हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि ट्रैक्टर चालक ने तेजी व लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर चलाकर सुराणा की ओर से आ रहे मोटरसाईकिल चालक को टक्कर मार दी और घटनास्थल से भाग गया था। यहां तक कि, साक्षी ने पुलिस को प्रपी-11 के पुलिस कथन देने से भी इन्कार किया है।

11- अभियोजन साक्षी ओमप्रकाश कर्मा (अ.सा.-8) ने उसके पास वर्ष 2009 से ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-46-ए-1302 होना स्वीकार किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि दुर्घटना वाले दिन उसके ट्रैक्टर को ड्राईवर राधेश्याम या श्याम चला रहा था। अभियोजन की ओर से इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि घटना वाले दिन आरोपी उसका पुत्र ट्रैक्टर चला रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके बेटे के विरुद्ध प्रकरण बनाया है, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि अपने पुत्र को बचाने के लिए वह असत्य कथन कर रहा है।

12- अभियोजन साक्षी निर्भयसिंह (अ.सा.-5) का कथन है कि दिनांक 25.03.2014 को उसने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 75/2014 की विवेचना के दौरान घटनास्थल से महिन्द्रा कम्पनी का लाल रंग का ट्रैक्टर बिना नंबर का, जिसका इंजिन नंबर आर.टी.डी.28867, चेचिस नंबर आर.डी.टी.28867 प्रपी-10 के अनुसार जप्त किया था, साक्षी सुरेश, रोहित, ओमप्रकाश, भारत व पप्पू के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे, घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी-2 का बनाया था, उसने मृतक सरदार के शव का पंचायतनामा और सफीना फॉर्म क्रमशः प्रपी-4 व 3 बनाया था, जिसके सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसने आरोपी को गिरफ्तार किया था और आरोपी के पेश करने पर ट्रैक्टर के दस्तावेज और चालक अनुज्ञप्ति जप्त की थी। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे जो रिपोर्ट जांच हेतु प्राप्त हुई थी, उसमें वाहन नंबर नहीं लिखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वाहन को घटनास्थल से जप्त किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि किसी भी साक्षी ने उसे ट्रैक्टर चालक का नाम नहीं बताया था।

13- इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपी शिवनारायण द्वारा घटना के समय उक्त ट्रैक्टर को लोक मार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर उसकी टक्कर सरदार को मारकर उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किए हैं, यहां तक कि, आरोपी की पहचान भी घटना के समय ट्रैक्टर चलाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं हुई है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत साक्ष्य के विवेचन से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने ही घटना दिनांक, समय व स्थान पर ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-46-ए-1302 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर सरदार को टक्कर मारी, जिससे उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में मृत्यु कारित हुई, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

14- अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचन से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे अपना मामला प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। फलतः यह न्यायालय अभियुक्त शिवनारायण पिता ओमप्रकाश विश्वकर्मा, आयु 23 वर्ष, निवासी मोहीपुरा, तहसील अंतड़, जिला बड़वानी को संदेह का लाभ प्रदान कर भादवि की धारा 304-ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त घोषित करता है।

15- अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं व अभियुक्त की निरोध अवधि बाबत दंप्रसं. की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

16— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-46-ए-1302 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी/सुपुर्ददार के पास अंतरिम सुपुर्दनामे पर मय कागजात के है, जो अपील अवधि पश्चात अपील ना होने पर, उसके पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / —

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

सही / —

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.

_Steno/S.Jain